डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/457/2025 दिनांक : 17/10/2025

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषयः– उ०प्र० विधान परिषद आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की तैयारी–लोक सूचना प्रकाशन नियम–31 (4) के अधीन नोटिस को प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पत्र संख्या 56/वि0परि0/2025 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान परिषद आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की तैयारी से सम्बन्धित लोक सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन दिनांक 15.10.2025 को किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लोक सूचना को महाविद्यालय में प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट (Notice Board) पर अनिवार्य रूप से चस्पा कराकर उसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि महाविद्यालय से सम्बद्ध सभी शिक्षक एवं स्नातक पात्र मतदाता इससे अवगत हो सकें।

संलग्नः–लोक सूचना की प्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आगरा खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।
2. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाइल

कुलसचिव

Affiliation

AR (Affiliation) / DR CRW

ई-मेल

कार्यवाही हेतु

समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय सूचित करें

कार्यालय आयुक्त आगरा मण्डल आगरा / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
आगरा खण्ड स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

संख्या: 56 / वि0प0नि0 / 2025 — दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

1– सम्पादक, अमर उजाला
आगरा।

2– सम्पादक, दैनिक जागरण
आगरा।

विषय: उ0प्र0 विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की तैयारी–लोक सूचना प्रकाशन नियम–31 (4) के अधीन जारी नोटिस को प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश, विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी से सम्बन्धित लोक सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन नियम–31(4) के अधीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–15.10.2025 को किया जायेगा। जिसकी प्रतियां आपको इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही है कि इस लोक सूचना का प्रथम पुनर्प्रकाशन विज्ञापन के रूप में निम्न निर्देशों के अन्तर्गत कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव 16.10.25

1– लोक सूचना का यह विज्ञापन दिनांक–15.10.2025 के समाचार पत्र में जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद में अनिवार्य रूप से प्रकाशित होना चाहिए।

2– लोक सूचना समाचार पत्र में कम से कम स्थान में राजकीय दरों पर छापी जानी चाहिए।

3– लोक सूचना का विज्ञापन समाचार पत्र में यह नोटिस एक अलग बाक्स कॉलम में आकर्षित और प्रमुख रूप से अभिमानतः भीतर की तरफ रंग किये गये बाक्स में प्रकाशित किया जाए, ताकि पाठकों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हो सकें।

4– उक्त सभी जनपदों में प्रकाशित लोक सूचना पेपर की 05 प्रतियां भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ तथा कार्यालय अभिलेखार्थ जिला निर्वाचन कार्यालय आगरा में दिनांक–18.10.2025 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाए।

5– लोक सूचना का शीर्षक बोल्ड टाइप एवं गाढ़ी स्याही में होना चाहिए तथा बिल 03 प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी आगरा से सत्यापित कराकर जिला निर्वाचन कार्यालय आगरा में उपलब्ध कराना होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा /
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
आगरा खण्ड स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–जिलाधिकारी / सहा0 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा कासगंज, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद को लोक सूचना का प्रचार–प्रसार जनपद में कराने हेतु।

3–कुल सचिव, डा0 भीमराव विश्वविद्यालय आगरा को लोक सूचना का प्रकाशन समस्त महाविद्यालयों में कराने हेतु।

4–जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा कासगंज, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद को (द्वारा सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय) लोक सूचना का प्रचार–प्रसार कराने हेतु।

614
17/10/25

5–जिला सूचना अधिकारी आगरा को इस आशय से कि वह यह सुनिश्चित करें, कि लोक सूचना का विज्ञापन निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा कासगंज, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं फर्रुखाबाद में प्रकाशित हो जाए।

6–समस्त जिलाध्यक्ष / जिला मन्त्री, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद आगरा को लोक सूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अपेक्षित सहयोग हेतु।

आयुक्त आगरा मण्डल आगरा /
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
आगरा खण्ड स्नातक / शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

भारत निर्वाचन आयोग

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के नियम 31(4) के अन्तर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के नियम 31(3) के अनुसरण में, आगरा खण्ड
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने, दिनांक 30.09.2025 के
अपने नोटिस के द्वारा ऊपर उल्लिखित सम्बन्धित स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक
नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के साथ संलग्न प्ररूप में प्रकाशित और (1) अमर
उजाला और (2) दैनिक जागरण समाचार पत्रों के दिनांक 30.09.2025 के संस्करण में
उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में दिये गये फार्म–18 में अपना आवेदन 06.11.2025
तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म–18 में अपने आवेदन दिनांक 06.11.2025 तक या उससे
पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त समस्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की शासकीय
वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।

दिनांक:–15.10.2025

Graduate Prakashan - 15-10-2025

Annexure-A-1

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Revision of Electoral Rolls for Agra Division Graduates' Constituencies of Uttar Pradesh Legislative Council

Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960

In pursuance of rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960, Electoral Registration Officer of Agra Division Graduate constituency, vide their notice dated 30th September, 2025, called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant Graduates' Constituency mentioned above, to send to, or deliver at, his office on or before the 06.11.2025 (i.e. the last date of receipt of applications) application in Form 18 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice published in the edition dated 30th September, 2025 of (1) Amar Ujala and (2) Dainik Jagran News papers.

All the above-mentioned persons may submit their applications in Form 18 on or before 06-11-2025 (i.e. the last date of receipt of applications), if not already done.

The said all details are also available in the official website of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh at www.ceouttarpradesh.nic.in

Electoral Registration Officer
Agra Division Graduate Constituency

Date:-15-10-2025

अनुलग्नक–क–1

भारत निर्वाचन आयोग

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के नियम 31(4) के अन्तर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के नियम 31(3) के अनुसरण में, आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक 30.09.2025 के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के साथ संलग्न प्ररूप में प्रकाशित और (1) अमर उजाला और (2) दैनिक जागरण समाचार पत्रों के दिनांक 30.09.2025 के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनर्प्रकाशित फार्म–19 में अपना आवेदन 06.11.2025 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म–19 में अपने आवेदन दिनांक 06.11.2025 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त समस्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की शासकीय वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर भी उपलब्ध है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

दिनांकः–15.10.2025

Annexure-A-1

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Preparation of Electoral Rolls for Agra Division Teacher Constituencies of Uttar Pradesh Legislative Council

Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960

In pursuance of rule 31 (3) of the Registration of Electors Rules, 1960, Electoral Registration Officer of Agra Division Teachers' constituency, vide their notice dated 30th September, 2025 called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant Constituency mentioned above, to send to, or deliver at, his office, on or before the 06.11.2025 (i.e. the last date of receipt of applications) an application in Form 19 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice published in the edition dated 30th September, 2025 of (1) Amar Ujala and (2) Dainik Jagran News papers.

All the above-mentioned persons may submit their applications in Form 19 on or before 06.11.2025 (i.e. the last date of receipt of applications), if not already done.

The said all details are also available in the official website of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh at www.ceouttarpradesh.nic.in

Date:-15-10-2025

Electoral Registration Officer
Agra Division Teacher Constituency

Teacher Prakashan - 15-10-2025